अति–आवश्यक समय–सीमा

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक–3/प.क./सेल–3/2018/888 **भोपाल, दिनांक 06.09.2018**

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः– मूल पदस्थापना स्थान पर ही कार्य संपादित कराये जाने के संबंध में।

//00//

विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 01.09.2018 को अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में जिला प्रभारी अधिकारियों द्वारा अवगत कराया है कि आपके द्वारा कुछ ए.एन. एम. को उनके मूल पदस्थापना स्थान से जिला मुख्यालय अथवा अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्य कराया जा रहा है।

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य द्वारा निर्देश दिये गये है कि आपके जिले में कार्यरत किसी भी नियमित/संविदा ए.एन.एम. को उसके मूल पदस्थापना स्थान से किसी अन्य स्वास्थ्य संस्था में संलग्नीकरण न किया जावे। यदि संचालनालय के संज्ञान में यह बात आती है कि आपके द्वारा संलग्नीकरण किया गया है तो आपकी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) की व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानते हुये नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

Ruhi

(रूही खान)
अपर संचालक (परिवार कल्याण)

पृ0 क्रमांक–3/प.क./सेल–3/2018/889 **भोपाल, दिनांक 06.09.2018**
प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनलाय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. निज सहायक, संचालक, प्रशासन, स्थानीय कार्यालय।
3. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।

Ruhi

अपर संचालक (परिवार कल्याण)